न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 44/2015 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्याः– 2015/00052

उनवान

1. कलुआ पुत्र नत्थोली(मृतक)
   - 1/1. रोशन
   - 1/2. रूपी
   - 1/3. राजेन्द्र
   - 1/4. लखन
   - 1/5. सुखदेई
   - 1/6. रामवती
   - 1/7. सीमा

   } पुत्र/पुत्री कलुआ
2. तेज सिंह पुत्र नत्थोली
3. कारे पुत्र नत्थोली
   - 3/1. महावीर पुत्र कारे
   - 3/2. रूमाली वेवा कारे
4. मानचन्द
5. रतन सिंह
6. ओमप्रकाश

   } पुत्रान परभाती
7. मुख्त्यार

} जाति जाटव निवासी बहनेरा तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र मोहनलाल
2. मंगल(मृतक)
   - 2/1. ठाकुरदास
   - 2/2. वीरेन्द्र

   } पुत्रान मंगल जाति जाटव नि0 बहनेरा तह0 व जिला भरतपुर।
   - 2/3. विजयरानी पुत्री मंगल पत्नी जगदीश जाति जाटव निवासी निधारा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
   - 2/4. चन्द्रवती पुत्री मंगल पत्नी बाबूलाल जाति जाटव निवासी निधारा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
   - 2/5. दुलारी पुत्री मंगल जाति जाटव निवासी कारई(इब्राहिमपुर) तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
3. छीतर पुत्र ग्यासी (मृतक)
   - 3/1. सन्तोष
   - 3/2. जयवीर
   - 3/3. सत्येन्द्र
   - 3/4. सत्यवीर

   } पुत्रान छीतर जाति जाट निवासी बहनेरा तहसील व जिला भरतपुर।
   - 3/5. लज्जावती वेवा छीतर
   - 3/6. मन्जू पुत्री छीतर निवासी बाडी जिला धौलपुर।
   - 3/7. सन्तोषी पुत्री छीतर निवासी बाबा का नगला जगनेर तहसील किरावली जिला आगरा।
4. पूरना पुत्र गेंदा(मृतक)

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज0)

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

4/1. लखमन
4/2. महेन्द्र सिंह } पुत्रान पूरना
4/3. अतर सिंह
4/4. गोपू } पुत्रान गोविन्द सिंह पुत्र पूरना
4/5. जीतेन्द्र

जाति जाटव निवासी बहनेरा तहसील व जिला भरतपुर

.... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 07.04.2003 न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर प्रकरण संख्या 764/02 उनवानी मंगल सिंह बनाम कलुआ।

उपस्थिति:-

1. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील अपीलांट।
2. श्री तुलीचन्द शर्मा वकील रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक-02.07.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.04.2003 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो० संख्या 01 व 02 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/शेष रेस्पो० एवं अपीलाण्ट, इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार काश्तकार काबिज है व मौके पर मनवट के आधार पर काश्त कर रहे है। परन्तु अब मनवट के आधार पर काश्त करने पर कठिनाई एवं मनमुटाव होने लगा है। अत वाद प्रस्तुत कर जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से प्राथमिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क दिये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्य के विरूद्ध है। साविक खसरा नम्बर 452, 453, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 431, 603, 604, 598 से हाल बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 1076, 1077 1078, 1126, 1123, 1124, 856, 857, 903, 1074, 1075, 1082, 1083, 1085 बने है जिसमें 21 बीघा के अपीलाण्ट व 05 बीघा 18 बिस्वा के रेस्पो० काबिज खातेदार काश्तकार हैं इसी प्रकार मौके पर काबिज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात गलत हो जाने से साविक इन्द्राजात को अदालत तहत ने गौर ना कर अपीलाधीन डिक्री पारित करने में भूल की है। विवादित आराजी का पूर्व में इन्हीं पक्षकारानो के मध्य दावा विभाजन का 1965 में चला जिसमें सातिक आराजी खसरा नम्बर 603, 604, 598 रेस्पो० के हिस्से व कब्जे में आये जिनका रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा होता है परन्तु उक्त समस्त आराजी से रेस्पो० को 2/3 हिस्सा देने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में एक तरफा निर्णय पारित किया गया था जिसकी अपील न्यायालय हाजा में पेश हुई जो स्वीकार हुई तथा पुनः उभयपक्ष को सुनवाई का

अखिलेश कुमार पिप्पल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

अवसर देते हुये निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की गयी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व के निर्णय को आधार बनाते हुये निर्णय देने में कानूनी भूल की है। अपने तर्कों के समर्थन मे न्यायिक नजीर एआईआर 1984 उडीसा पेज 30, 2008(एस.सी.) पेज 901, 1193(एस.सी.) पेज 957, आरएलडब्ल्यू 2014(2) पेज 1453, 2016(2) पेज 1284, 2014(2) पेज 1453, डीएनजे 2007 पेज 187, आरआरडी 1986 पेज 536 का हवाला देते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुसार तनकीवार तार्किक है जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों की जॉच उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट की आपत्ति का सारांश यह है कि विवादित आराजी बाबत् पक्षकारानो के मध्य विभाजन का दावा पूर्व मे 1965 मे चला जो दिनांक 18.01.1965 में डिक्री हुआ। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त फैसले को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित करना चाहिये था। इसके अतिरिक्त उनकी यह भी आपत्ति है कि विवादित आराजी बाबत् पुनः नये सिरे से दावा लाने पर रैस्जुडिकेटा लागू होगा। हमने मनन किया। अपीलाण्ट कथित आदेश 18.01.1965 को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश को चुनौती दे रहे हैं। यदि उनके पक्ष में कोई निर्णय हुआ था तो उसकी आज तक इजराय क्यों नहीं हो पायी। नियमानुसार 12 वर्ष बाद डिक्री प्रभावहीन हो जाती है। इसके अलावा अपीलाण्ट दावे में हाजिर हुये हैं एवं उनके द्वारा जवाब भी पेश किया गया है। यदि उनके पूर्व के फैसले बाबत् कोई उज्र था दावे में ही करना चाहिये था। परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपील में उक्त आपत्ति ग्राह्य नहीं मानी जा सकती। प्रकरण न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 04.11.2002 से पुनः तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकीयात कायम कर, सभी तनकियों को तय करते समय, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसे हम किसी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं।

6. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.04.2003 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 02.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02.07.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर